



UPSI180039232023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), महमूदाबाद, सीतापुर।

दीवानी वाद सं०-409/2023

सर्वेश

बनाम

मैना देवी आदि।

दिनांक: 04.09.2024

पत्रावली पेश हुई। पुकार पर उभय पक्ष मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली वास्ते विरचन वादबिन्दु नियत है। पक्षकारों को धारा 89 सी० पी० सी० के तहत सुलह कराने का प्रयास किया गया किन्तु पक्षकार सुलह हेतु तैयार नहीं हुए। अतः पक्षकारों की ओर से दाखिल अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वादबिन्दु विरचित किये जाते हैं-

1. क्या वादी, वादपत्र में उल्लिखित कथनों के आधार पर विवादित सम्पत्ति गाटा सं०-471 रकबा 0.177 हे० स्थित ग्राम भण्डिया परगना बाड़ी, तहसील सिधौली जिला सीतापुर का मालिक काबिज है?
2. क्या वादी, वादपत्र में उल्लिखित कथनों के आधार रजिस्टर्ड बैनामा दिनांकित 02.12.2019 निरस्त करा पाने का अधिकारी है?
3. क्या वादी को कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है?
4. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया है?
5. क्या प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
6. क्या प्रस्तुत वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है?
7. क्या प्रतिवादीगण, वादी से धारा-35 ए के अन्तर्गत विशेष हर्जा पाने के अधिकारी हैं?
8. क्या वादी किसी भी सहायता को पाने का अधिकारी है?

इसके अतिरिक्त अन्य कोई वादबिन्दु न तो विरचित होता है और न ही अन्य कोई वादबिन्दु विरचित किये जाने हेतु पक्षकारों की ओर से कोई बल ही दिया गया है। अतः पत्रावली वास्ते निस्तारण वादबिन्दु सं०-4,5 व 6 दिनांक 01.10.2024 को पेश हो।

(रंजीत कुमार जायसवाल)

सिविल जज (जू०डि०) महमूदाबाद,

सीतापुर।

J.O Code-UP3555

vijay/-